



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 वैशाख 1941 (श0)
(सं0 पटना 598) पटना, बुधवार, 8 मई 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
8 मई 2019

एस० ओ० 212, दिनांक 8 मई 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों के अधीन कर का संदाय करने वाले या वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या 2/2019—राज्य कर (दर), दिनांक 7 मार्च, 2019, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या-340, दिनांक 7 मार्च, 2019 द्वारा प्रकाशित किया गया था (जिसे इसमें इसके पश्चात “उक्त अधिसूचना” कहा गया है) के फायदे का उपभोग करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं जो विवरणी देने और कर का संदाय करने के लिए नीचे यथावर्णित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त व्यक्ति, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के प्ररूप **जीएसटी सीएमपी-08** में एक स्वनिर्धारित कर संदाय के ब्यौरे में अंतर्विष्ट करते हुए, यथास्थिति, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग का ऐसे तिमाही के उत्तरवर्ती मास की 18 तारीख तक एक विवरण प्रस्तुत करेंगे।

3. उक्त , व्यक्ति बिहार माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप **जीएसटीआर-4** में, यथास्थिति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष या उसके भाग के लिए एक विवरणी, ऐसे वित्तीय वर्ष के अंत से आगामी की 30 अप्रैल को या उसके पहले प्रस्तुत करेंगे।

4. उक्त अधिसूचना का उपभोग करके कर का संदाय करने वाले रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के बारे में, ऐसी अवधि के संबंध में जिसके लिए उन्होंने उक्त फायदे का उपभोग किया है, यह समझा जाएगा कि उन्होंने उक्त अधिनियम की धारा 37 और धारा 39 के उपबंध का अनुपालन किया है यदि वे उन्होंने उपरोक्त पैरा 2 और पैरा 3 में यथा उपबंधित प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 और प्ररूप जीएसटीआर-4 दे दिया है।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 1433)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

8 मई 2019

एस० ओ० 212, दिनांक 8 मई 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-6) 1433)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 8th May 2019

S.O. 212, Dated 8th May 2019— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons paying tax under the provisions of section 10 of the said Act or by availing the benefit of Commercial Taxes Department notification No.2/2019- State Tax (Rate), dated the 7th March, 2019 published in the Bihar Gazette vide number 340, dated the 7th March, 2019, (hereinafter referred to as “the said notification”) as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing of return and payment of tax.

2. The said persons shall furnish a statement, every quarter or, as the case may be, part thereof containing the details of payment of self-assessed tax in **FORM GST CMP-08** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, till the 18th day of the month succeeding such quarter.

3. The said persons shall furnish a return for every financial year or, as the case may be, part thereof in **FORM GSTR-4** of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, on or before the 30th day of April following the end of such financial year.

4. The registered persons paying tax by availing the benefit of the said notification, in respect of the period for which he has availed the said benefit, shall be deemed to have complied with the provisions of section 37 and section 39 of the said Act if they have furnished **FORM GST CMP-08** and **FORM GSTR-4** as provided in para 2 and para 3 above.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-6) 1433)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 598-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>